न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र / 13 / 2022

मनोज यादव पुत्र श्री अनेक सिंह जाति यादव निवसी 1353 न्यू जनता कॉलौनी सरन, फरीदाबाद, हरियाणा ।

......प्रार्थी0

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक भरतपुर

......अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी वावत आयशर केन्ट्रा नम्बर एचआर 38 / यू–2001,इंजन नं.19281, चैसिस नम्बर 09549 मॉडल 2015 रंग लाल मय असल दस्तावेजात आर.सी.बी. फिटनेश आदि वमुकदमा एफआईआर संख्या 394 दिनांक 4–11–2021 अपराध अन्तर्गत धारा 379 आईपीसी पुलिस थाना सरन जिला फरीदाबाद हरियाणा ।

उपस्थित :–
1–श्री मंजीतसिंह अभिभाषक प्रार्थी
2–राजकीय पैरोकार अप्रार्थी–2

निर्णय दिनांक 5.04.2022

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र जप्त वाहन आयशर केन्ट्रा नम्बर एचआर 38 / यू–2001 रंग लाल मय असल दस्तावेजात आर.सी.बी. फिटनेश सुपुर्दगी दिये जाने हेतु पेश किया है, जो संक्षेप में इस प्रकार कि प्रार्थी आयशर केन्ट्रा नम्बर एचआर 38 / यू–2001,इंजन नं.19281, चैसिस नम्बर 09549 मॉडल 2015 रंग लाल रजिस्टर्ड स्वामी है। प्रार्थी ने दिनांक 3–11–2021 को रात करीब 8 बजे विजय फर्नीचर वाला की गली जवाहर कॉलौनी में खड़ी की थी, सुबह देखा प्रार्थी का वाहन नहीं था प्रार्थी ने काफी तलाश के बाद एफआईआर संख्या 394 दिनांक 4–11–2021 को पुलिस थाना सरन जिला फरीदाबाद हरियाणा दर्ज कराई गई वाहन के अस्ल दस्तावेजात भी रखे हुये थे जो वाहन के साथ ही चोरी हो गये। पुलिस थाना खोह जिला भरतपुर ने उक्त वाहन को दिनांक 27–12–2021 को गौवंश तस्करी करते हुये पकड़ लिया गया। प्रार्थी सूचना पर गया मालूम हुआ कि प्रार्थी के वाहन को चोर गौवंश तस्करी करते हुये पुलिस थाना खोह ने धारा 5.8

......2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०

प्रा0पत्र / 13 / 2022
मनोज यादव बनाम सरकार

राजस्थान गोवशीय अधिनियम के तहत जप्त किया गया है, एफआईआर संख्या 225 / 2021 थाना खोह में दर्ज है प्रार्थी का वाहन पुलिस परिसर में खुले में खड़ा हुआ है वाहन के खुले में खड़ा रहने खराब होने की पूर्ण सम्भवना है। प्रार्थी को जप्त वाहन को सुपुर्दगी में दिलाया जाने के आदेश दिये जावें। प्रार्थी न्यायालय की शर्तें मानने को तैयार है जप्त वाहन की पुलिस को आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गई।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी पुलिस थाना नगर खोह से रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट शामिल मिसिल की गई। प्रार्थी अभिभाषक को सुना गया।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने जाहिर किया कि प्रार्थी का वाहन दिनांक 3–11–2021 को चोरी हो गया था। जिसकी एफआईआर संख्या 394 दिनांक 4–11–2021 अन्तर्गत धारा 379 आईपीसी के तहत पुलिस थाना सरन जिला फरीदाबाद पर दर्ज कराई गई थी। पुलिस थाना खोह ने प्रार्थी के उक्त वाहन को दिनांक 27.12.2021 को चोरों से राजस्थान से हरियाणा गौवंश तस्कीर में लिप्त पाये जाने पर मय गौवंश जप्त कर लिया है। प्रार्थी का उक्त वाहन थाना परिसर में खुले में खड़ा हुआ है जिसके धूप वर्षात से खराब होने की सम्भावना है। पुलिस थाना खोह को उक्त वाहन की आवश्यकता नहीं है। जप्त वाहन को प्रार्थी की सुपुर्दगी में दिया जावे। उनका यह भी कथन है कि न्यायालय जो भी शर्त लगायेगा प्रार्थी उसे मानने को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी स्वीकार किया जाकर जप्त वाहन आयशर केन्ट्रा नम्बर एचआर 38 / यू–2001,इंजन नं.19281, चैसिस नम्बर 09549 मॉडल 2015 रंग लाल को प्रार्थी की सुपुर्दगी में दिये जाने के आदेश दिये जाने की प्रार्थना की गई।

पैरोकार सरकार ने जाहिर किया कि उक्त वाहन राजस्थान से गौवंश तस्करी कर हरियाणा राज्य में ले जाते हुये मय गौवंश पकड़ा गया है। उक्त वाहन मय गौंवश हरियाणा ले जाते हुये पुलिस थाना खोह ने धारा 5.8 राजस्थान गोवशीय अधिनियम के तहत जप्त किया गया है, एफआईआर संख्या 225 / 2021 थाना खोह में दर्ज है। प्रकरण में तफतीश जैरकार है। प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पुलिस थाना खोह से प्राप्त रिपोर्ट का अध्ययन किया गया। रिपोर्ट में अंकित है कि उक्त आयशर केन्ट्रा की बॉडी में 14 गौवंश निर्दयता पूर्वक रस्सी से बांध रखा था तथा गौवंश को एक दूसरे के ऊपर डाला हुआ था। गौतस्करों का यह कृत्य अपराध धारा 5 / 8 आरबीए एक्ट की तारीफ में पाये जाने

......3

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०

प्रा0पत्र / 13 / 2022
मनोज यादव बनाम सरकार

पर वाहन आयशर कैन्ट्रा कौ बतौर साधन अपराध जप्त किया गया है। वाहन छोड़कर भागे हुये गौ–तस्करों की तलाश जारी है। पुलिस थाना खोह द्वारा कार्यवाही जैर अनुंसाधन है। अस्तु प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी काबिल खारिज के रहता है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति पुलिस थाना खोह को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 5.4.2022 को लिखा जाकर सुनाया गया

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,भरतपुर